



2026:AHC:25157

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - बी सं. - 332 सन् 2026

मानवीर सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 68 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : नितिन शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय सं. - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. त्वरित रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"1.परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 को अपील संख्या 3/2025/202454111700000146 (पुरानी अपील संख्या 738 सन् 2011) शीर्षक मनवीर सिंह बनाम गौ सुरक्षा सभा, खुर्जा और अन्य के न्यायालय के समक्ष लंबित निस्तारण अधिकारी चकबंदी, मेरठ मंडल, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर के समक्ष शीघ्रता से और अधिमानतः इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 11(1) के तहत अपील (संक्षिप्तता में 'यूपीसीएच अधिनियम') चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित 1.8.2024 के रिमांड आदेश के अनुसरण में विचाराधीन है, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों पक्ष पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और मामला अंतिम न्यायनिर्णयन के लिए तैयार है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले को शीघ्रता से तय करने के लिए कोई निर्देश जारी किया जाता है।

5. उपरोक्त के रूप में इस विवेचन में, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंततः निस्तारण के लिए उचित समझता है, जैसा कि रिट याचिका में उल्लिखित है, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (प्रतिवादी संख्या 3) को उपरोक्त मामले को कानून के अनुसार एक तर्कपूर्ण और सकारण आदेश के माध्यम से, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को किसी भी अनावश्यक स्थगन को शीघ्रता से दिए बिना, अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर, सख्ती से तय करने का निर्देश दिया गया है।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंततः निस्तारण किया जाता है।

फरवरी 5, 2026

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"